इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 फरवरी 2024—माघ 30, शक 1945

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2024

सूचना

क्र. आर नं.—16866281—2023—बाईस—पं.—1.— मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 69 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (3) द्वारा आपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो कि संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 6 में, उप—नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप—नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(10) इन नियमों के अधीन यथापूर्वोवत आमेलन पर भर्ती तथा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति नीचे यथा उल्लिखित अवकाश का उपभोग करने के लिए पात्र होगा :—

(क) **आकस्मिक अवकाश :—** ग्राम पंचायत सचिव किसी कलेन्डर वर्ष के दौरान तेरह दिन के आकस्मिक अवकाश के लिए हकदार होगा. आकस्मिक अवकाश ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाएगा.

(ख) यथापूर्वोक्त आमेलन पर भर्ती या नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के अनुसार निम्नलिखित अवकाश का उपभोग करने के लिए पात्र होगा, अर्थात् :—

(एक) अर्जित अवकाश
(दो) चिकित्सा प्रमाण–पत्र पर किसी शासकीय सेवक को अवकाश की स्वीकृति
(तीन) अर्ध–वैतनिक अवकाश
(चार) लघुकृत अवकाश
(पांच) अदेश अवकाश
(छह) असाधारण अवकाश
(सात) सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश
(आठ) प्रसूति अवकाश
(नौ) पितृत्व अवकाश
(दस) दत्तक ग्रहण अवकाश
(ग्यारह) संतान पालन अवकाश.".

NOTICE

No. R-16866281-2023-XXII-P-1.– The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2011 which the State Government Proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) of Section 69 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby, given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Panchayat and Rural Development Department, Mantralay, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, -

(1) in rule 6, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

" (10) Under these rules any person recruited and appointed on absorption as aforesaid shall be eligible for availing leave as mentioned below:-

(a) Casual Leave:- The Gram Panchayat Secretary shall be entitled for casual leave of thirteen days during any calendar year. The casual leave shall be sanctioned by the Gram Panchayat.

(b) any person recruited or appointed on absorption as aforesaid shall be eligible to avail the following leave as per the Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977, namely:-

(i) Earned leave
(ii) Grant of leave to a government servant on medical certificate.
(iii) Half-pay leave
(iv) Commuted leave
(v) Leave not due
(vi) Extraordinary leave
(vii) Leave Preparatory to retirement
(viii) Maternity leave
(ix) Paternity leave
(x) Adoption leave
(xi) Child care leave.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुशरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.